रजिस्टर्ड ए0 डी0

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई–मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

सं0:–राज/पाली –47/चूनापत्थर–05

दिनांक. 21/4/2016

प्रेषित मै निरमा लिमिटेड
निरमा हाउस, आश्रम रोड
अहमदाबाद 380009

विषयः राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी डिगराना चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 100.00 हैक्टेयर **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (**संशोधित एमसीडीआर 2011**) के प्रावधानो का उल्लंघन

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 17.03.2016 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
13(1)	(1) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 4.(आई) के अनुसार वर्ष 2015–16 में खनिज एक्सपलोरेशन हेतु कुल 17 बोरहोल लगााए जाने थे लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 खनिज एक्सपलोरेशन हेतु बोरहोल नहीं लगाए गये है। (2) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 5.(ई) के अनुसार वर्ष 2015–16 में ओवरबर्डन 58089 m^3 हटाया जाना प्रस्तावित था लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 में अभी तक ओवरबर्डन 75805 m^3 हटाया गया है। जो कि प्रस्तावित से काफी अधिक है। 3) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 5.(ई) के अनुसार वर्ष 2015–16 में खनन कार्य एक पिट में करना प्रस्तावित था लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खनन कार्य दो पिटो में किया जा रहा है तथा पिट न. 1 जो कि बाउण्ड्री लाइन बी–सी के साथ साथ डवलप करना था के अलावा दणिण दिशा की ओर भी डवलप किया गया है।
46	पूर्णकालिक भूवैज्ञानिक तथा खनि अभियंता एंव खान प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति करने की सूचना निर्धारित प्रपत्र–आई में प्रेषित नहीं की गई है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2) खनि अभियन्ता, ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सीटी को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो